

बीएसईएस के नाम पर ठगी करने वाले हाईप्रोफाइल गिरोह के सरगना समेत दो पकड़े

उपभोक्ता की मदद से, बीएसईएस विजिलेंस टीम व दिल्ली पुलिस ने किया ठगी का भंडाफोड़

नई दिल्ली: 2 दिसंबर, 2014। बिजली उपभोक्ताओं से ठगी करने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ बीएसईएस ने एक बड़ा अभियान छेड़ा है, जिसके तहत साउथ दिल्ली में एक हाईप्रोफाइल गिरोह के सरगना समेत दो ठग पकड़े गए हैं। ठगों का यह गिरोह आरके पुरम और संत नगर/नेहरू प्लेस जैसे साउथ दिल्ली के पॉश इलाकों में सक्रिय था।

आरके पुरम व संत नगर के नागरिकों के साथ मिलकर किए गए बीएसईएस और दिल्ली पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन में ठगों के गिरोह का सरगना राहुल शर्मा उर्फ ब्रिजेश शर्मा और उसका सहयोगी राजेश पकड़े गए। गिरफ्तार करने के बाद, गिरोह के सरगना को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया गया है, जबकि उसके सहयोगी को दो दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। इस बीच, इस हाईप्रोफोइल गिरोह के बाकी सदस्यों की धड़—पकड़ का अभियान जारी है।

गिरोह के सदस्य खुद को बीएसईएस एन्फोर्समेंट सेल के अधिकारी बताते थे। यह गिरोह इतना शातिर था कि वह सिर्फ अमीर उपभोक्ताओं को ही शिकार बनाता था। गिरोह के लोग उपभोक्ताओं के घर जाकर उन्हें बताते थे कि उनका बिजली का मीटर टैपर्ड है, और उन पर बिजली चोरी का मुकदमा चलेगा। उन पर भारी जुर्माना ठोंका जाएगा और जेल की सजा भी होगी। उसके बाद गिरोह के सदस्य उपभोक्ताओं से भारी भरकम रकम ऐंठते थे।

हाल ही में, बीएसईएस विजिलेंस टीम को आरके पुरम से इस गिरोह के बारे में सूचना मिली थी। उसके बाद पता चला कि यह गिरोह संत नगर/नेहरू प्लेस की एक महिला को ठगने की कोशिश कर रहा है। यह महिला जागरूक थी और उसने बीएसईएस की विजिलेंस टीम को इसकी सूचना दे दी।

ठगी में जो मोबाइल नंबर इस्तेमाल किया जा रहा था, उस मोबाइल नंबर को बीएसईएस ने अपने डेटाबेस से मिलाया, तो वह संगम विहार निवासी संतराम शर्मा का निकला। कई दिनों तक संतराम शर्मा पर विजिलेंस टीम ने नजर रखी और फोटोग्राफ समेत कई सबूत इकट्ठे किए। फिर, उन सबूतों को आरके पुरम पुलिस स्टेशन के अधिकारियों के सामने रखा गया, जिसके बाद वहां के एक पुलिस अधिकारी को बीएसईएस विजिलेंस टीम के साथ भेजा गया। सुबह—सुबह गिरोह के सरगना राहुल शर्मा उर्फ ब्रिजेश शर्मा को संगमविहार से गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में गिरोह के सरगना ने अपने एक सहयोगी राजेश के बारे खुलासा किया, जिसे बाद में पुलिस ने उसे तिगड़ी गांव से गिरफ्तार कर लिया। सरगना ने बताया कि उसका वास्तविक नाम ब्रिजेश शर्मा है और उसने साउथ दिल्ली के पॉश इलाकों में कई उपभोक्ताओं को अपना शिकार बनाया है।

इस बीच, बीएसईएस अधिकारियों ने राहुल शर्मा उर्फ ब्रिजेश शर्मा के संगम विहार स्थित घर के बिजली लोड की चेकिंग की, तो वह 15 किलोवॉट की बिजली चोरी करता पाया गया। दीवार के अंदर से बिजली की तारें ले जाकर वह बिजली चोरी कर रहा था। उस पर ठगी के अलावा, बिजली चोरी का मामला भी चलाया जाएगा।

सलाह:

बीएसईएस ने अपने उपभोक्ताओं को सलाह दी है कि वे ऐसे असामाजिक तत्वों से सावधान रहें, जो उन्हें ठगी का शिकार बना रहे हैं और साथ ही, कंपनी की छवि भी खराब कर रहे हैं। कंपनी का यह भी कहना है कि मामला चाहे कुछ भी हो,

उपभोक्ता ऐसे तत्वों के दबाव या झांसे में न आएं और उनके झूठे आश्वासनों में भी न फँसें। किसी भी शर्त पर उन्हें पैसे न दें। एन्फोर्समेंट से संबंधित सभी तरह के जुर्माने, फाइन आदि का भुगतान बीएसईएस ऑफिस में ही हो सकता है, उपभोक्ता के घर पर नहीं।

उपभोक्ताओं को यह भी सलाह दी गई है कि जब भी कोई व्यक्ति उनके यहां बीएसईएस प्रतिनिधि के रूप में पहुंचता है, तो सबसे पहले उनका पहचान पत्र देखें। सही पहचान पत्र में ये तथ्य होने चाहिए: 1. बीएसईएस लोगो, 2. बीएसईएस होलोग्राम, 3. जारी होने की तारीख, 4. वैधता (वैलिडिटी), 5. कर्मचारी की तस्वीर, 6. अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर, 7. कर्मचारी के हस्ताक्षर, 8. कर्मचारी संख्या / पहचान पत्र संख्या, 9. ठेकेदार का नाम / लोगो / पता, 10. लेमिनेशन

जैसे ही उपभोक्ताओं को कुछ शक हो, वे तुरंत निकटतम बीएसईएस ऑफिस को इस बारे में बताएं, या फिर कॉल सेंटर नंबर 39999707— बीआरपीएल व 39999808 — बीवाईपीएल पर फोन करें। या, 100 नंबर पर पुलिस को बताएं।
